

रा. प्र. क्र. २१ अ/१९(३) वर्ष १७-१८
मौजा-फुलवारी, मदनतला, प.ह.नं. २२
तहसील शाहगढ़ जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक-१
सागर जिला (म.प्र.)

विरुद्ध

आवेदक

म.प्र.शासन

अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक २२/५/२०१८)

तहसीलदार शाहगढ़ का प्रकरण क्रमांक-८६१ बी/१२१ वर्ष १७-१८ ग्राम फुलवारी, मदनतला अनुविभागीय अधिकारी बण्डाजिला सागर के माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया गया। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-१ सागर जिला सागर ने जापन क्रमांक- ९७३/कार्य/२०१८ सागर दिनांक २४.०३.१८ में कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले हस्तांतरित शासकीय भूमि के स्थान पर तहसील शाहगढ़ के ग्राम फुलवारी, मदनतला, बमनोरा की शासकीय भूमि हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित की गई।

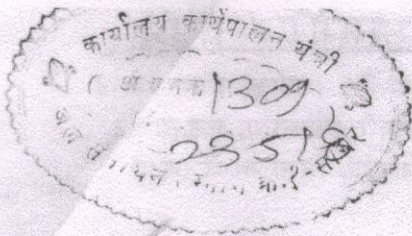
प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार शाहगढ़ को पत्र क्रमांक-४३४९/री.कले./१८ सागर दिनांक ०५.०४.१८ भेजा जाकर कार्यपालन यंत्री के प्रस्ताव का परीक्षण राजस्व विभाग वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण करने के उपरांत उपरोक्त ग्रामों का पृथक-पृथक ग्रामवार प्रकरण तैयार कर शासन के नियम निर्देशों के तहत अपने अभिमत के साथ उचित माध्यम से भेजे जाने के निर्देश दिये गये।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग बण्डा के जापन क्रमांक-७३१/एस.टी./१८ बण्डा दिनांक २२.०६.१८ में प्रतिवेदित किया गया कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में तहसीलदार शाहगढ़ से प्रतिवेदन लिया गया। तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक/१४४/प्र./तह./२०१८ शाहगढ़ दिनांक २१/०५/२०१८ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया है कि ग्राम फुलवारी प.ह.नं. २२ की भूमि ख.नं. १ कुल रकवा २५.४७० हे. में से २५.००० हे., खसरा नं. ४३ कुल रकवा ७५.६९० हे. में से ६५.००० हे. ग्राम मदनतला में खसरा नं. १८७ कुल रकवा २५.००० हे. में से २४.२९० हे. एवं ग्राम बमनोरा प.ह.नं. ३३ के खसरा नं. १९४ कुल रकवा ३६.४०० हे. में से २१.५९२ हे. भूमि कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना बरोदा जलाशय, जमदारी जलाशय एवं पिपरिया जसराज जलाशय के डूब क्षेत्र में गई वन भूमि के बदले उक्त भूमि वन विभागे को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करने बाबत आदेश प्राप्त हुआ। उक्त निर्देश के पालन में दिनांक ०७/०५/२०१८ को पुलिस बल, ग्राम कोटवार, पटवारी टीम, जल संसाधन से अनुविभागीय अधिकारी उपयंत्री एवं वन विभाग के डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड एवं पुलिस विभाग से थाना प्रभारी शाहगढ़ अमले के सहित स्वयं तहसीलदार की उपस्थिति में ग्राम फुलवारी के खसरा नं. १ एवं ४३ का सीमांकन किया गया। वन विभाग द्वारा जी.पी.एस. रीडिंग ली गई नियत बिन्दुओं पर चूना लाईन डलवायी गई। खसरा नं. १ के नक्शा के मध्य में खसरा नं. ०२ रकवा १.१० हे. को हस्तांतरण हेतु चिन्हित किया गया एवं खसरा नं. ४३ कुल रकवा ७५.६९ हे. में से ६५.००० हे. रकवा नक्शा अनुसार सीमांकित कर बताया गया। चूना डालकर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई। सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित भूमि वन भूमि के कक्ष क्रमांक ५०२ से लगी हुई है। ग्राम मदनतला के खसरा नं. १८७ कुल रकवा २५.००० में से २४.२९० हे. भूमि वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, डिप्टी रेन्जर, बीटगार्ड, जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन की उपस्थिति टीम द्वारा सीमांकित की गई, चूना डलवाया गया एवं बीट गार्ड द्वारा आवश्यक बिन्दुओं पर जी.पी.एस. रीडिंग ली गई सीमांकित भूमि वृक्षारोपण के प्रयोजन उपयुक्त एवं अतिक्रमण मुक्त पाई गई। सीमांकित वन भूमि के कक्ष क्रमांक ५०० से लगी हुई है। ग्राम बमनोरा में वन विभाग से वन परिक्षेत्र अधिकारी, बीटगार्ड, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन से उपयंत्री श्री जैन ग्राम बमनोरा की भूमि खसरा नं. १९४ रकवा ३६.४०० हे. में से २१.५९२ हे. के सीमांकन हेतु मौके पर उपस्थित हुये मौके पर निरीक्षण के

P.T.O.



२४/५/१८



11211

रा. प्र. क्र. 21 अ/19(3) वर्ष 17-18

दौरान वन विभाग द्वारा उक्त भूमि को वृक्षरोपण के उपयुक्त न होना बताया गया एवं जी.पी.एस. रीडिंग नहीं ली गई। तहसीलदार शाहगढ़ द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत उक्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रतिवेदन समुचित कार्यवाही हेतु सहपत्रों सहित संप्रेषित है।

प्राप्त प्रस्ताव एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा के प्रस्ताव से सहमत होते हुए तहसील शाहगढ़ में अनुसूची में दर्शाए गए ग्रामों की शासकीय भूमि :-

अनुसूची

क्र.	योजना का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा	हस्तांतरित रकवा	मद
01	कैथ मध्यम परियोजना	फुलवारी	22	01	25.47	14.912	चरनोई
		फुलवारी	22	43	75.69	65.00	चरनोई
02	जमदर्रा जलाशय	मदनतला	22	187	25.00	24.29	चरनोई
03	बरोदा जलाशय	फुलवारी	22	01	25.47	10.08	चरनोई
कुल योग-						114.28	

का म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) के तहत मद परिवर्तन करते हुए कैथ मध्यम सिंचाई परियोजना, जमदर्रा जलाशय, बरोदा जलाशय में डूब में आने वाली भूमि के बदले बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आरक्षित कर हस्तांतरित की जाती है साथ ही प्रकरण क्रमांक- 13 अ/19(3) वर्ष 16-17 में गारित आदेश दिनांक 13.02.18 के द्वारा ग्राम दरारिया प.ह.नं. 06 तहसील रहली का भूमि हस्तांतरण का आदेश निरस्त किया जाता है।

उक्त भूमि से हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अत्रभावित रहेगा। भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण एवं आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

Aux
(आलोक कुमार सिंह)

कलेक्टर

जिला सागर

सागर, दिनांक 22/5/2018

पृ.क्र. 16248/री.कले. 1/2018

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
- 2- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग वल्लभ भवन भोपाल को सूचनार्थ।
- 3- कमिश्नर, सागर संभाग सागर को सूचनार्थ।
- 4- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को सूचनार्थ।
- 5- वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वन मण्डल सागर को सूचनार्थ।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी रहली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित तहसीलदार शाहगढ़ से आदेशानुसार कार्यवाही कराये जाने तथा कार्यवाही उपरांत संशोधित अभिलेख की नकल सहित प्रकरण अतिशीघ्र इस न्यायालय को भेजे जाने हेतु।
- 8- तहसीलदार शाहगढ़ को उनके प्रकरण सहित आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

तहसीलदार शाहगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पत्र पृ. क्र. 1720/सं.क्र. 1/सागर (रा.प्र.) सागर दि. 26.5.18
अतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग 3 गढ़मोटा की ओर
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया।

(Signature)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1
सागर (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. 28 अ/19(3) वर्ष 17-18
ग्राम हरदुवानी प.ह.नं. 47
तहसील बण्डा जिला सागर (म.प्र.)

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग कमांक-1 सागर,
तहसील व जिला सागर (म0प्र0)
विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....आवेदक

.....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 28/09/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-1 सागर, तहसील व जिला सागर (म0प्र0) ने पत्र कमांक-1679/कार्य/2018-19 सागर दिनांक 22.05.18 में लेख किया गया कि न्यायालय कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक-6 अ/19(4) वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 के द्वारा सागर जिले की सिंचाई परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्वायला जलाशय की डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के बदले ग्राम हरदुवानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि 38.28 हे. वन विभाग को हस्तांतरित हुआ था। उक्त हस्तांतरित भूमि वन विभाग के नाम नामांतरित एवं उनके आधिपत्य में है। उक्त तीनों योजनाओं में से खजरा जलाशय योजना के वनभूमि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र कमांक-6MPC036/2007-BHO/4410 दिनांक 03.12.2007 द्वारा एस.ए.जी. म.प्र. दिनांक 01.08.2007 की बैठक में विचारोपरान्त 2300 वृक्षों के पातन एवं मात्र 167 हे. सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य नहीं की गई। इस परिपेक्ष्य में तत्कालीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-2 सागर के पत्र कमांक-1063/वन प्र./कार्य/08 सागर दिनांक 04.04.2008 द्वारा योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है। म.प्र.जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक-373/22/09/09 भोपाल दिनांक 02.06.2012 में निहित निर्देशानुसार स.क. 16 पर दर्शित खजरा जलाशय योजना जिला सागर की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु जानकारी प्रपत्र 151 (संशोधित) में भरकर योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुविचारित नहीं होने एवं लागत प्रति हे. अधिक होने के कारण निरस्तीकरण प्रस्ताव कार्यपालन जल संसाधन संभाग कमांक-1 सागर द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजा जा चुका है। इस प्रकार खजरा जलाशय योजना का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम हरदुवानी की 14.26 हे. वनभूमि वन विभाग के आधिपत्य में है। जो अतिशेष श्रेणी में है। सागर जिले के सागर विकास खण्ड की बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल गैर वन भूमि 21.06 हे. जिसमें से 10.08 हे. भूमि तहसील शाहगढ के ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 01 में से न्यायालय कलेक्टर सागर के आदेश कमांक-21 अ/19(3) वर्ष 17-18 दिनांक 22.05.18 को आवंटित हो चुकी है। अतः इस योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शेष 10.98 हे. राजस्व भूमि खजरा जलाशय हेतु आवंटित 14.26 हे. राजस्व भूमि (जो वन विभाग के पास अतिशेष है) में से समायोजित करने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर तहसीलदार बण्डा जिला सागर से प्रकरण तैयार कराया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा प्रकरण कमांक-574 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम हरदुवानी में इशतहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई। इशतहार पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव प्रस्ताव लिया गया। तहसीलदार बण्डा द्वारा ग्राम हरदुवानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकवा 38.28 हे. में से रकवा 10.98 हे. भूमि पर खजरा जलाशय के स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी बण्डा द्वारा की गई।

P.T.O

इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-6 अ/19(4) वर्ष 2005-06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 द्वारा ग्राम हरद्वानी प.ह.नं. 47 तहसील बण्डा जिला सागर स्थित भूमि ख.नं. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354 कुल रकवा 38.28 हे. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित की गई थी। उसमें से रकवा 14.26 हे. भूमि का खजरा जलाशय योजना का प्रस्ताव सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य न होने से योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित होने से एवं उक्त भूमि वन विभाग के आधिपत्य में होने एवं अतिशेष की श्रेणी में होने से उसके स्थान पर बरोदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निम्न विवरण अनुसार भूमि समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतः अनुविभागीय अधिकारी बण्डा एवं तहसीलदार बण्डा एवं वन मंडल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर की सहमति पर ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की निम्नानुसार भूमि :-

क्रं.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे.में)	समायोजित रकवा (हे. में)	मद
01	हरद्वानी	47	105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353, 354	14.26	10.98	शासकीय

उक्त भूमि का समायोजन होने से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। समायोजित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।

Alu
(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर

जिला-सागर

सागर, दिनांक 28/07/2018

पु.क्रं 0/10783/री0कले0/18
प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- 2- सचिव म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- 3- अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन, विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
- 4- प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र. भोपाल
- 5- मुख्य वन संरक्षक वृत्त सागर जिला सागर
- 6- वन मंडल अधिकारी (स.) वन मंडल उत्तर सागर वन मंडल सागर
- 7- अनुविभागीय अधिकारी बण्डा जिला सागर
- 8- कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-एक सागर
- 9- तहसीलदार बण्डा जिला सागर को मूल प्रकरण सहित प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्ती एवं आवंटित भूमि का अधिपत्य संबंधित विभाग को दिलाये जाने उपरांत संशोधित अभिलेख खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं अधिपत्य दिये जाने का पंचनामा प्रतिवेदन सहित प्रकरण इस न्यायालय को शीघ्र भेजे।

Alu
कलेक्टर
जिला-सागर